NEWS LETTER

September to December 2014

Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur

FURTHERING THE CAUSE OF ACCESS TO JUSTICE THROUGH DELIBERATIONS IN WORKSHOPS & CONFERENCES

PLEA-BARGAINING WORK SHOP ON 13.09.2014

Hon'ble Patron in Chief addressing the gathering chaired by Hon'ble Shri Justice A.K. Patnaik, Former Judge, Supreme Court of India.

1st REGIONAL CONFERENCE ON MEDIATION DATED 29.11.2014

Hon'ble Patron in Chief, Executive Chairman, MPSLSA, Hon'ble Members of Main Mediation Monitoring Committee adorn the dias.

THE RISING GRAPH OF MEDIATION!

Major steps have been taken for strengthening ADR mechanisms particularly under Mediation which may be briefly enumerated below-

1. An Action Plan for institutionalization of mediation & monitoring has been prepared and laid out elaborately in a Hand Book compiled for this purpose viz; **"Handbook & Action Plan on Mediation 2014".**
2. 51 Training Programmes of 40 hours each have been conducted by SALSA, which has resulted in a 5 fold increase in success rate of mediation over last 8 months.
3. Success of Cases through Mediation from the year 2007-08 up to October 2014 is reflected below -

S.No.	Year	No. of Settled Cases
1	2007-08	17
2	2008-09	44
3	2009-10	40
4	2010-11	56
5	2011-12	44
6	2012-13	121
7	2013-14	572
8	2014-15	1653

Various Schemes have been framed for giving impetus to mediation activities like

- Scheme for Court Annexed Mediation
- Scheme for 'Mediation Judge'
- Scheme for identification of cases for Mediation Reference.
- Scheme for Felicitation of Judge/Advocate Mediators and Referral Judges.
- Guidelines for Organization of Mediation Awareness Programme.

4. There have been rapid strides in the sphere of conducting Training/ Awareness camps which are as below-

- 40 hours Training of 844 Judge Mediators completed.
- 40 hours Training of 340 Advocates, 80 Social Worker mediators completed in first phase.
- Training of remaining judges shall be completed by March, 2015.
- Advocate of 5 years' standing for appointment as Mediator is also under consideration.
- Next phase training of Advocates as Mediators is to be taken up from March 2015

5. For purpose of effective monitoring of Mediation from High Court to Taluka Level, Committees have been constituted for strengthening the monitoring system. Thus there is a Main Mediation Committee headed by a Chairman (High Court Judge) at Principal Seat while there are Sub Committees at each Bench of this High Court up to District & Taluka level.
6. It is ensured that monthly monitoring meetings of these Committees upto Taluka Level are organized along with holding regular awareness programmes for the benefit of litigants and advocates alike.

7. It has been ensured that the guidelines issued by MCPC are being complied in letter & spirit and for this purpose Member Secretary SLSA has been appointed as Coordinator/ Director of Main Mediation Monitoring Committee which has been formulated to supervise matters pertaining to Mediation.
8. Honorarium is given to Mediators (other than judges) in accordance with MCPC Guidelines.
9. Major steps have been taken to improve the infrastructural facilities by completion of ADR Centers at the District Level in 5 districts while construction is in progress in the remaining 45 districts.

10. Out of a sanctioned fund of Rs.39, 94, 80,000 by State Government for mediation, so far an amount of Rs 32, 69, 87,403 has been utilized for various mediation activities. Setting up of 50 Video Conferencing Units, 1 for each district, 151 for each Taluka and 1 each for SLSA, Principal Seat and Benches (204 in all) is also on the anvil to ensure accessibility and monitoring of all DLSAs and activities under the Mediation Schemes and to this end work order has been issued.

11. On 29.11.2004, the Ist Regional Conference of 28 districts which fall under Jabalpur Zone was held at Jabalpur in which the best mediator and referral Judge were felicitated along with sharing of experiences of Judge Mediator who had completed more than 50 cases.

Discussions centered on subject--- Evaluation of Mediation Activities in District Mediation Centres, Endeavours and Achievements, Challenges and Solutions in implementation of Mediation Schemes and Strengthening the Working of Mediation Centers and Future Course of Action and several useful inputs were exchanged in the course of deliberations, following which it is expected that there will be snowball effect of mediation activities in the State.

मीडिएशन विषय पर जिलों में हो रही गतिविधियां

जिला मंदसौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश विधिक साक्षरता शिविर में मध्यस्थता के संबंध में किये गये कार्य के संबंध में पुरस्कार वितरण करते हुए।

लोक अदालत के समक्ष एक दूसरे का हाथ थामा

सवाई माधौपुर राजस्थान निवासी नेमीसिंह राजपूत का विवाह गेडवाली सड़क लश्कर ग्वालियर निवासी श्रीमती मधु राजपूत के साथ वर्ष 1985 में ग्वालियर में सम्पन्न हुआ था। और दोनों के संसर्ग से वर्ष 1987 में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो कि इस समय 26 वर्ष का है। विवाह के कुछ समय बाद से ही उनके मध्य आपसी मतभेद उत्पन्न हो गये जिसके कारण वे वर्ष 1987 से ही अलग–अलग निवास करने लगे। इसके बाद श्रीमती मधु राजपूत के द्वारा अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए वर्ष 1990 में हिन्दी विवाह अधिनियम की धारा 10 के तहत न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त करने हेतु याचिका प्रस्तुत की गयी, जिस पर दिनांक 9.3.1998 को न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित करते हुए धारा 25 हि.वि.अधि. के तहत आवेदिका को 500/– रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता भी दिलाया गया। तत्पश्चात श्रीमती मधु राजपूत के द्वारा वर्ष 2010 में उसे धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्राप्त हो रही भरण पोषण राशि में वृद्धि किये जाने हेतु याचिका प्रस्तुत की गयी। वर्ष 1998 में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद वर्ष 2010 तक किसी भी पक्ष ने विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत नहीं की। और चूंकि 28 वर्ष से अलग–अलग रह रहे पति पत्नि में मध्य तलाक नहीं हुआ था। उक्त स्थिति को देखते हुए उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 19.8.14 को उभयपक्षों को पुर्नमिलन हेतु समझाईश दी गई। और उभयपक्षों के मध्य समझौते की संभावना को देखते हुए लगातार प्रत्येक पेशी पर उन्हें पुर्नमिलन हेतु तथा साथ साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने हेतु समझाया गया जिसके फलस्वरूप वह लोग दिनांक 13.12.2014 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के समक्ष दोनों उपस्थित हुए और मेरे द्वारा दी गई समझाईश के फलस्वरूप दोनों ने लोक अदालत के समक्ष एक दूसरे का हाथ थाम लिया और जिन्दगी भर साथ साथ जीने की कसम खाकर खुश होकर अपने घर गये।

श्रीमती मीना सिंह
अति. प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर

प्ली–बारगेनिंग पर कार्यशाला आयोजन दिनांक 13.09.2014

माननीय मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 13/09/2014 को प्ली–बारगेनिंग–पुर्नविलोकन, चुनौतियां एवं भविष्य की कार्ययोजना विषय पर कार्यशाला का आयोजन होटल गुलजार टॉवर, जबलपुर में किया गया। उक्त कार्यशाला में माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया। माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.एम. खानविलकर मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कार्यशाला की अध्यक्षता की गई। उक्त आयोजन में माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित सिंह, कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, न्यायधीश म.प्र. उच्च न्यायालय एवं म.प्र. उच्च न्यायालय के समस्त माननीय न्यायाधीशगणों की विशेष उपस्थिति के साथ म.प्र. के समस्त जिलों के जिला न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यशाला में उपस्थित रहे।

प्ली–बारगेनिंग कार्यशाला में उपस्थित माननीय अतिथिगण एवं प्रतिभागी मध्यप्रदेश के समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण।

दिनांक 13 दिसम्बर 2014– नेशनल लोक अदालत–जनता की अदालत

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय मानिकराव खानविलकर, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण में तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित सिंह, प्रशासनिक न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 13 दिसम्बर 2014 (शनिवार) को पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की समस्त पीठों, समस्त जिला एवं तहसील स्तर के सभी प्रकार के न्यायालयों, अन्य न्यायाधिकरणों तथा समस्त शासकीय विभागों में खण्डपीठों का गठन कर किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य दाण्डिक, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण आदि 107 प्रकार के प्रकरणों को निराकण हेतु रखा गया।

दिनांक 13 दिसम्बर 2014 को प्रदेश में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 5922366 प्रकरण प्रि–लिटिगेशन के रखे गये थे जिसमें 5090363 प्रकरणोंका निराकरण हुआ। 6,21,54,78,863 राशि रूपये की वसूली की गई।मध्यप्रदेश में दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालय कार्य करती है, इस प्रकार न्यायालयों से लोक अदालत में राजीनामा हेतु 3095013 प्रकरण भेजे गये। जिनमें से 2644010 प्रकरणों का निराकरण हुआ। कुल 6,04,58,15,426 रूपये की राशि वितरित की गई।

लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी, पति–पत्नि के मध्य सफल राजीनामा कराते हुए।

जिला न्यायालय जबलपुर म.प्र. में लोक अदालत में उपस्थित आम नागरिकगण।

जिला न्यायालय, जबलपुर में आयोजित लोक अदालत

म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर में आयोजित लोक अदालत

सर्वश्रेष्ठ पैरालीगल वॉलेन्टियर पुरूस्कार- विजेता
मध्यप्रदेश राज्य का भिण्ड जिला

बांयी तरफ माननीय मुख्य न्यायाधीशपति, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पैरालीगल वालेंटियर का पुरस्कार लेते हुए मध्यप्रदेश के जिला भिण्ड के पैरालीगल वालेंटियर श्री राघव सिंह राठौड़ एवं दांयी तरफ श्री राठौड़, मान. न्यायामूर्ति श्री अजित सिंह, कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल एवं श्री दिनेश नायक, सदस्य–सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 8–9 नवम्बर 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की पैरालीगल वॉलेन्टियर्स मीट आयोजित की गयी जिसमें देश भर से आये पैरालीगल वॉलेन्टियर्स के कार्यों का मूल्यांकन कर सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले पैरालीगल वॉलेन्टियर को पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार भिंड–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स श्री राघव सिंह राठौड़ को गुमशुदा बच्चों के हित में विशेष कार्य करने एवं उनके पुर्नवास मे सहयोग हेतु प्रयास करने के लिये दिया गया। श्री राठौड़ भिण्ड जिले में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं और वे गुमशुदा बच्चों के लिये कार्यरत संस्था चाइल्ड हेल्प लाइन से जुड़े हुये हैं।

भोपाल गैस त्रासदी- पुर्नवास हेतु स्वच्छ पेयजल आवश्यक

पानी का प्रेशर गंभीर समस्या है, भोपाल गैस पीड़ित वार्ड में घर के बाहर से पानी भरती हुई महिला।

भोपाल गैस पीड़ितों की समस्यायें सुनते श्री दिनेश कुमार नायक, सदस्य–सचिव एवं श्रीमती गिरिबाला सिंह, उपसचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 657/95 में पारित आदेश के परिपालन में भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित 23 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता हेतु नल कनेक्शन दिलाये जाने एवं इससे संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के कार्यपालक अध्यक्ष महोदय श्री अजीत सिंह जी, सदस्य सचिव महोदय श्री दिनेश नायक जी एवं उप सचिव महोदया श्रीमती गिरिबाला सिंह जी द्वारा इन बस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित इन 23 बस्तियों में गैस पीड़ितों के पुनर्वास हेतु आवश्यक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये राज्य प्राधिकरण द्वारा भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान करवाये गये। इन कनेक्शनों के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण किये जाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा एक कमेटी का गठन कर भौतिक सत्यापन कराया गया था। इस उत्कृष्ट कार्य के लिये गत वर्ष–2013 में भोपाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सर्वश्रेष्ठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पुरस्कार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया था।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुर्नवास हेतु म.प्र. एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सामूहिक प्रयास

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के हित में कार्य करते हुए श्रीमती सुशीला देवी पिता श्री रामप्रसन्न गुप्ता, निवासी– ग्राम–बदरा, थाना भालूमाड़ा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) का पुर्नवास कराया गया । श्रीमति सुशीला बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान कोइलवर, भोजपुर में परिरूद्ध थीं। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें पुनर्वासित कराये जाने हेतु म.प्र. राज्य प्राधिकरण को पत्र भेजा गया था। तदुपरांत राज्य प्राधिकरण द्वारा, जिला प्राधिकरण अनुपपुर के साथ समन्वय कर दिनांक 08.08.2014 को श्रीमती सुशीला देवी के पिता श्री रामप्रसन्न गुप्ता को बुलाकर उन्हें अपनी पुत्री श्रीमती को बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान कोइलवर, भोजपुर से लाने के लिए कहा गया था। उनके द्वारा अपनी आयु तथा आर्थिक आभाव की स्थिति के कारण बिहार राज्य जाकर अपनी पुत्री को वापस लाने में असमर्थकता व्यक्त की गई। तब जिला प्राधिकरण अनुपपुर द्वारा प्रशासन से सहयोग लिया गया। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा रामप्रसन्न गुप्ता को एक महिला आरक्षक एवं एक पुरूष आरक्षक के साथ कोइलवर, भोजपुर बिहार भेजा गया। तत्पश्चात् पुलिस आरक्षक द्वारा सुशीला देवी को उनके पिता के निवास स्थान ग्राम–बदरा, थाना भालूमाड़ा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) में सुरक्षित पहुंचा दिया गया। वर्तमान में सुशीला देवी अपने पिता के साथ निवास कर रही है और वे पूर्णरूपेण स्वस्थ है।

इस प्रकार बिहार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक मानसिक रूप से बीमार और परिवार से अलग हुई महिला की सुरक्षित घर वापसी कराई जाकर उसका सफल पुर्नवास कराया गया।

वृहद विधिक साक्षरता शिविर

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से जिलों के समस्याग्रस्त, पिछड़े एवं आदिवासी बहुल ग्रामों में प्रशासन के साथ समन्वय एवं सहयोग से वृहद विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते हैं। इन शिविरों में आमजन को विधिक ज्ञान से साक्षर कराने के साथ–साथ उन्हें शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाता है। इन शिविरों में न्याय प्राप्ति की आशा लिये हुए ग्रामीणजन दूर–दूर से बड़ी संख्या में आते हैं, यहां पर इनका नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाया जाता है। ये शिविर म.प्र.रा.वि.से.प्रा. जबलपुर के कार्यपालक अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अजित सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में संपन्न किये जाते हैं। इनमें राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव महोदय श्री दिनेश नायक एवं उप सचिव महोदया श्रीमती गिरिबाला सिंह जी द्वारा भी इस प्रकार के शिविरों को सफल बनाने में रूचि लेते हुये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न योजनाओं के लाभांवितों की संख्या लगभग 32,785 है।

Mega Legal Literacy Camp at Gram- Basadehi, Narsinghpur Dated 27.09.2014

ग्राम बांसादेही, जिला नरसिंहपुर के विधिक साक्षरता शिविर में विभिन्न विभागों के स्टाल।

ग्राम बांसादेही, जिला नरसिंहपुर के विधिक साक्षरता शिविर में भागीदारियों को कु. समीक्षा सिंह, न्यायाधीश/सचिव, जि.वि.से.प्रा. द्वारा प्रमाणपत्र दिये जाने की तैयारी।

Mega Legal Literacy Camp at Gram- Hathnapur, Narsinghpur Dated 27.09.2014

ग्राम हथनापुर, जिला नरसिंहपुर के विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित आम नागरिकजन।

मध्य में मान. कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री अजित सिंह, उनके दायीं तरफ कलेक्टर श्री पाल तथा बांयी तरफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गौतम।

Mega Legal Literacy Camp at Gram- Karmayi, Sidhi Dated 11.10.2014

Distribution of Wheel Chairs to disable Children by the Hon'ble Justice Ajit Singh, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, Jabalpur

Mega Legal Literacy Camp at Gram- Karmayi, Sidhi Dated 11.10.2014

Distribution of Different Govt. Benefits to Women & Children by the Hon'ble Justice Ajit Singh, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority and Justice S.S. Kemkar.

Mega Legal Literacy Camp at Gram- Chirgaon, Jabalpur Dated 14.12.2015

Mega Legal Literacy Camp at Gram- Chirgaon, Jabalpur Dated 14.12.2015

Spreading health awareness through AASHA workers

Legal Literacy Camp, Mandsaur

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला।

Mega Legal Literacy Camp, Chhindwada

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा में 26 नवम्बर को विधि दिवस का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा महिला सशक्तिकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। अध्यक्ष जि.वि.से.प्रा. के मार्गदर्शन में प्राधिकरण के सचिव श्री आदित्य रावत द्वारा महिलाओं आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके स्वसहायता समूहों का गठन किया गया। इन स्वसहायता समूहों द्वारा इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण का कार्य किया जाएगा। जिससे महिलाऐं आर्थिक रूप से सक्षम होंगी। जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी बदलाव के साथ–साथ सुधार भी आएगा।इसके साथ ही स्कूली बालिकाओं को अपनी सुरक्षा करने के लिए आत्मरक्षा के उपाय के रूप में जूडो–कराटे का प्रशिक्षण दिलाया गया। जिससे किसी भी आपात स्थिति में वे स्वयं अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम रहेंगी।

निश्चित ही इस प्रकार के सार्थक प्रयासों से समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी, उनका संर्वागीण विकास होगा जिससे वे सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकेंगी।

बस एक सवाल ....

मातृशक्ति यदि नहीं बची तो, बाकी यहाँ रहेगा कौन?
प्रसव वेदना, लालन-पालन, सब दुःख-दर्द सहेगा कौन?
मानव हो तो दानवता तो त्यागो, फिर ये उत्तर दो -
इस नन्हीं सी जान के दुश्मन को, इंसान कहेगा कौन?

- प्रभात प्रणय

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण संबंधी कानूनी जानकारी प्रदान की गई।

10 अक्टूबर 2014 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मूक बधिर छात्रावास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद न्यायिक एवं रेडक्रास सोसायटी के अधिकारीगण एवं बच्चे।

मूल कर्तव्यों पर निबंध प्रतियोगिता एवं शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण

शिविर में छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना।

छात्र–छात्राओं को मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देते रजिस्ट्रार एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना।

बंदियों ने जाने अपने अधिकार

जेल में बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करते जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा. पन्ना।

जिला जेल मुरैना में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित बंदी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुये।

कर्तव्य एवं अधिकार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन द्वारा के.एस. हायर सेकेण्डरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बच्चों को मौलिक कर्तव्यों एवं अन्य कानूनों की जानकारी प्रदान की गई।

हम भी किसी से कम नहीं

उज्जैन में 3 दिसम्बर 2014 को विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्रस्तुति देते नि:शक्त बच्चे।

SCHEMES FOR LEGAL SERVICES TO DISASTER VICTIMS THROUGH LEGAL SERVICES:

PROGRESS:

Session	Core Group	Total Benefitted Persons
Oct to Dec 2014	15	0

NLSA (LEGAL SERVICES TO MENTALLY ILL PERSON AND PERSONS WITH MENTAL DISABILITIES) SCHEME 2010:

PROGRESS:

Session	Total Benefitted Persons
Oct to Dec 2014	06

ESTABLISHED LEGAL AID CLINIC IN JUVENILE JUSTICE BOARD :

PROGRESS:

Session	Juvenile Justice Board (Legal aid Clinic)
Oct to Dec 2014	09

NALSA (LEGAL SERVICES TO THE WORKERS IN THE UNORGANIZED SECTOR) SCHEME 2010

PROGRESS:

Session	Resisted Unorganized worker in District	Benefitted persons under Govt. welfare plan	Total Camp	Benefitted persons under	CampBenefitted Persons under Legal Advice/Aid
Oct to Dec 2014	413666	127742	96	12448	9115

विधिक सहायता/विधिक सलाह (अक्टूबर–दिसम्बर 2014) त्रैमासिक जानकारी

विधिक सहायता स्वीकृत प्रकरणों की संख्या

माह	अनु. जाति			अनु. ज.जा.			पिछड़ा			सामान्य			योग			कुल योग
	पु.	म.	ब.	पु.	म.	ब.	पु.	म.	ब.	पु.	म.	ब.	पु.	म.	ब.	
अक्टूबर 14	143	36	16	105	6	18	217	53	33	173	46	28	638	141	95	638
नवम्बर 14	144	36	21	106	17	25	228	49	56	150	50	24	628	152	126	906
दिसम्बर 14	139	30	16	135	6	12	187	63	57	150	39	47	611	138	132	881
कुलयोग	**426**	**102**	**53**	**346**	**29**	**55**	**632**	**165**	**146**	**473**	**135**	**99**	**1877**	**431**	**353**	**2425**

विधिक सलाह स्वीकृत प्रकरणों की संख्या

माह	अनु. जाति			अनु. ज.जा.			पिछड़ा			सामान्य			योग			कुल योग
	पु.	म.	ब.	पु.	म.	ब.	पु.	म.	ब.	पु.	म.	ब.	पु.	म.	ब.	
अक्टूबर 14	884	367	9	714	299	11	1529	618	18	935	457	12	4062	1741	50	4062
नवम्बर 14	771	261	11	530	201	13	1111	555	97	794	391	62	3206	1408	183	4797
दिसम्बर 14	387	170	8	343	135	6	851	399	26	512	260	12	2093	964	52	3109
कुलयोग	**2042**	**798**	**28**	**1587**	**635**	**30**	**3491**	**1572**	**141**	**2241**	**1108**	**86**	**9361**	**4113**	**285**	**11968**

"There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts." Mahatma Gandhi

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR
Progress Report of Legal Literacy & Awareness Camps
(Oct. 2014 to Dec. 2014)

Type of Camps	No. of Camps			No. of Persons Benefitted					No. of Persons Benefitted		Total Expen-diture
	Camps held in District (A)	Camps held in Tehsil (B)	Total (A+B)	In District (A)		In Tehsil (B)		Total (A+B)	ST	SC	
				Male	Female	Male	Female				
Legal Literacy Camp	712	659	1371	73529	39884	46189	22388	181990	16996	14168	145816
Micro Legal Literacy Camp	54	41	95	2194	1149	609	296	4248	978	554	0
MGNREGA Camp	52	28	80	6777	3637	4636	1614	16664	1514	902	0

मध्यस्थता द्वारा निराकृत प्रकरणों की जानकारी
(माह–अक्टूबर, 2014 से दिसम्बर 2015)

क्र	माह	पूर्व के लंबित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरण	सफल प्रकरणों की संख्या	असफल प्रकरणों की संख्या	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	9
1	अक्टूबर 2014	4,214	1,613	5,827	251	903	4,673
2	नवम्बर 2014	4,673	2,005	6,678	321	1,354	5,003
3	दिसम्बर 2014	5,003	1,751	6,754	425	1,274	5,055
	योग	4,214	5,369	9,583	997	3,531	5,055

माह–अक्टूबर, 2014 से दिसम्बर 2014 तक आयोजित मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मीडिएशन प्रशिक्षण	प्रशिक्षित न्यायाधीशगण
5	120

लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारी

क्र.	लोक अदालत का प्रकार	वर्ष 2014 (अक्टूबर 2014 से दिसम्बर 2014)					रिमार्क
		लोक अदालत संख्या	प्रस्तुत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लाभांवित व्यक्ति	कुल मुआवजा/डिक्री अवार्ड राशि	
1	नेशनल लोक अदालत दिनांक 13दिसम्बर 2014	1	9017379	7734373	-	12261294289	-
2	स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत	186	24,978	6,794	7,337	40226432	-
3	लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत स्थाई लोक अदालत	30	2,124	182	378	-	-
4	महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजनांतर्गत लोक अदालत	7	10	10	20	-	-
5	जेल लोक अदालत	9	3	2	4	-	-
6	प्ली–वारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लोक अदालत	-	189	183	202	-	-
	योग	**233**	**9044683**	**7741544**	**-**	**12301520721**	**-**

क्या कहती है, अजन्मी कन्या

सुनो.... अजन्मी लड़कियां कुछ कहती हैं ....

•

काश! मुझे पैदा होने दिया होता,
तो तुम्हें एक और मां मिल जाती।
जो जन देती बेटा तुम्हारे लिए,
और मेरी भी किस्मत खुल जाती।

•

सारे हिन्दुस्तान में हो हमारी धूम
बस नही हो तो 'कन्या भ्रूण'

•

ना रखोगे ग़र जमीं पर जगह मेरे लिये
तो वो मां कहां से लाओगे, जो जनेगी बेटा तुम्हारे लिए

•

पेट से बोली अजन्मी लड़की....
चाहिये मुझको भी एक खिड़की।

•

समेटती है वो गंदगी, जो दुनिया को
बनाये साफ सुथरा।
उसकी छोटी उम्र का ये रूप, हमें कभी नहीं अखरा
काश! वो यूं ही बीन पाती कुछ अनमोल अक्षर
जैसे सुबह-सबेरे बीनती है डब्बे से कचरा।

श्रीमती ममता तिवारी
समाज सेविका, भोपाल

कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध है,
कृपया कन्या को जन्म लेने दीजिए।

हमारा लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिक को विधिक रूप से साक्षर बनाना, जिससे वे स्वावलंबी हो सकें जो बिना समाज के सहयोग से संभव नहीं है।

आगे आयें हाथ बढ़ायें,
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का साथ निभायें।

– दिनेश कुमार नायक,
सदस्य सचिव,
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

संपादकीय समूह-

- श्रीमती गिरिबाला सिंह (उपसचिव)
- श्रीमती पूनम तिवारी (जिला विधिक सहायता अधिकारी)
- जीवनलाल लोधी
- सचिन गोस्वामी
- जफर इकबाल
- भारती पासी

PUBLISHED BY
MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR
C-2, South Civil Lines, Jabalpur Pin 482001
Ph. No. 0761-2678352, 2624131 Fax: 0761-2678537 Email: mplsajab@nic.in Website: www.mpslsa.nic.in
National Free Legal Helpline: 15100